परिशिष्ट-1 (पैराग्राफ संख्या 1.3 देखें)
कानूनी ढाँचा

अधिनियम के विभिन्न विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कटौती/छूट इत्यादि का दावा करने के लिए लेखाकार द्वारा जारी किए जाने वाले और निर्धारिती द्वारा अपनी आयकर विवरणी के साथ प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट/प्रमाणपत्र नीचे दर्शाए गए है:

निहित अधिनियम की धारायें	संबंधित नियम	जिन पर लागू है	अपेक्षित फॉर्म
32(1)(iiए)	5ए	किसी पदार्थ या किसी वस्तु के विनिर्माण के व्यवसाय अथवा उत्पादन के कारोबार या बिजली के उत्पादन अथवा उत्पादन एवं वितरण के कारोबार से जुड़ा निर्धारिती।	3एए
10(23सी)	16सीसी	निधि, ट्रस्ट, संस्थान, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल अथवा चिकित्सा संस्थान।	10बीबी
12ए(बी)	17बी	सार्वजनिक धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यास या संस्थान जिसकी आय छूट से पूर्व कर पर प्रभार्य न होने वाली अधिकतम राशि से ज्यादा हो।	10बी
33एबी(2)	5एसी	धारा 33एबी(1) के तहत किए गए विशेष जमा के संबंध में छूट का दावा करने वाले ऐसे निर्धारिती जो चाय या काफी अथवा रबड़ उगाते और उत्पादन करते हैं।	3एसी
33एबीए(2)	5एडी	साइट रेस्टोरेशन निधि खाता/योजना के अंतर्गत जमा के संबंध में कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती।	3एडी
35डी(4)	6एबी	कुछ प्रारम्भिक खर्चों के परिशोधन का दावा करने वाले, कंपनियों अथवा सहकारी समितियों के अलावा निर्धारिती।	3एई

35ई(6)	6एबी	कुछ खनिजों की खोज इत्यादि पर व्यय का दावा करने वाले, कंपनियों अथवा सहकारी समितियों के अलावा निर्धारिती।	3एई
44एबी	6जी	यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि निर्धारित तिथि से पूर्व अपने लेखों की एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा कराके निर्धारित फॉर्म (अर्थात् फॉर्म 3सीए, फॉर्म 3सीबी अथवा फॉर्म 3सीडी जैसा भी मामला हो) में इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को उस तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा पूर्णतः हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में जमा करे और इस रिपोर्ट में सभी निर्धारित ब्यौरे दे, यदि (i) कुल बिक्री, कारोबार अथवा पिछले वर्ष के किसी व्यापार पर प्राप्त आय ₹ 60 लाख (नि.व. 2013-14 से ₹ 1 करोड़) से ज्यादा हो (ii) पिछले वर्ष उसके किसी पेशे से प्राप्त उसकी कुल आय ₹ 15 लाख (नि.व. 2013-14 से ₹ 25 लाख) से अधिक हो अथवा (iii) पिछले वर्ष उसे किसी व्यापार से होने वाले लाभ या आय को धारा 44एडी या धारा 44एई अथवा धारा 44एएफ या धारा 44बीबी या धारा 44बीबीबी जैसा भी मामला हो, के तहत ऐसे व्यक्ति की आय या लाभ माना जाए, और उसने अपने कारोबार से उसकी मानित आय अथवा लाभ से कम आय या लाभ का दावा किया है अथवा (iv) पिछले वर्ष उसे किसी व्यापार से होने वाले लाभ या आय को धारा 44एडी के अंतर्गत उस व्यक्ति की आय या लाभ माना जाए और वह अधिकतम राशि से अधिक अपनी आय एवं लाभ होने, किसी पिछले वर्ष में आयकर प्रभार्य न होने का दावा करता है इस धारा के प्रयोजनार्थ, (i) "लेखाकार" का वही अर्थ होगा जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे व्याख्या की गई है और ''विनिर्दिष्ट तिथि'' से तात्पर्य एक निर्धारिती के लिए नि. व. से सम्बन्धित पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में तात्पर्य निर्धारण वर्ष में 30 सितम्बर	3सीए, 3सीबी एवं 3सीडी
44डीए	6जीए	गैर-प्रवासियों के मामले में रॉयल्टी आदि के माध्यम से आय की गणना हेतु विशेष प्रावधान।	3सीई

80-I(7)/80-Iए	18बीबीबी	इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा, दूरसंचार सेवायें, औद्योगिक पार्क या बिजली आदि के लिए औद्योगिक उपक्रम अथवा उद्योग वाले निर्धारिती और कुछ विशेष श्रेणी में कतिपय उपक्रमों या उद्योगों के संबंध में विशेष प्रावधान।	10सीसीबी
80-Iडी(3)(iv)	18डीई	विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटल एवं सम्मेलन केंद्र के कारोबार से लाभ एवं आय के संबंध में छूट का दावा करने वाले निर्धारिती।	10सीसीबी बीए
80-Iबी(11बी)	18डीडी	ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल चलाने और अनुरक्षण करने के कारोबार से लाभ कमाने वाले उपक्रम स्वामित्व वाले निर्धारिती।	10सीसीबी सी
80-Iबी(7ए) एवं (7बी)	18डीबी/ डीसी	मल्टीप्लेक्स थियटर अथवा सभागार केंद्र रखने और चलाने के कारोबार के संबंध में कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती।	10सीसीबीए/ 10सीसीबीबी
115वीडब्ल्यू(ii)	11टी	'क्वालीफाइंग शिप्स' चलाने के कारोबार से जुड़ी कंपनियाँ जिन्होंने 'टनेज कर' योजना को चुना है।	66
142(2ए)	14ए	एओ के आदेश पर विशेष लेखापरीक्षा।	6बी
10ए(5)	16डी	मुक्त व्यापार क्षेत्रों, ईपीजेड, सेज़ एसटीपी इत्यादि में स्थापित नए उपक्रमों के संबंध में छूट का दावा करने वाले निर्धारिती।	56एफ
10बी(5)	16ई	नए स्थापित ईओयूज़ के संबंध में कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती।	56जी
10Bए(5)	16एफ	अर्हक पदार्थ या सामानों [मुख्य कच्चे माल के रूप में लकड़ी की बनी हस्तनिर्मित वस्तुए या सामान] के निर्यात से प्राप्त लाभ के संबंध में छूट का दावा करने वाले निर्धारिती।	56एच
50बी(3)	6एच	'स्लम्प सेल' के मामले में, उपक्रम/डिवीज़न की निवल आय की गणना हेतु।	3सीईए
72(ए)(2)(iii)	9सी	निर्धारित शर्तों के अनुपालन से संबंधित समामेलित निर्धारिती कंपनी।	62
80-Iए(6)	18बीबीई	हाऊजिंग अथवा अन्य गतिविधि जो हाइवे परियोजना का अखण्ड भाग है, से लाभ के संबंध में कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती।	10सीसीसी

80एलए	19एई	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई रखने वाले अनुसूचित बैंक	10सीसीएफ
80-Iबी(11सी)	18डीडीए	भारत में किसी भी स्थान पर स्थित अस्पताल चलाने से होने वाली आय एवं लाभ से छूट का दावा करने वाले निर्धारिती।	10सीसीबीडी
80जेजेएए(2)	19एबी	नए कार्मिक के रोजगार के संबंध में छूट का दावा करने वाले निर्धारिती।	10डीए
92ई	10ई	अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन अथवा विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन और उसके विवरण से संबंधित।	3सीईबी
115जेबी	40बी	निर्धारिती कंपनी जिस पर धारा 115जेबी के प्रावधान लागू होते हैं।	29बी
115जेसी	40बीए	एलएलपी (नि.व. 2012-13) के लिए और कंपनी के अलावा व्यक्ति (नि.व. 2013-14 से) जिस पर धारा 115जेसी के प्रावधान लागू होते हैं।	29सी
201/206सी	31एसीबी/ 37जे	प्रवासियों के लिए जो अध्याय XVIIबी/XVIIबीबी के प्रावधानों के अनुसार कटौती/कर संग्रहण में विफल रहे।	26ए/27बीए
285	114डीए	संपर्क कार्यालय वाले गैर-प्रवासी द्वारा विवरण।	49सी